दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आदेश की तिथि: 1 मई, 2023

+ सि.वा. (मू.प.) 153/2007

श्रीमती आशा गुप्ता ..... वादी

द्वारा: श्री राजीव तलवार और श्री दिवाकर सिन्हा, अधिवक्तागण

बनाम

श्री संदीप गुप्ता एवं अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: अधिवक्ता श्री रजत सहगल, प्रतिवादी .-1, प्रतिवादी स..-2 और प्रतिवादी सं.-3 के लिए

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र धारी सिंह

<u>आदेश</u>

माननीय न्या. श्री चंद्र धारी सिंह (मौखिक)

<u>अंतरिम आवेदन 2104/2022 (आदेश XXXIX के नियम 2क के तहत)</u>

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसमें इसके पश्चात् " सीपीसी ") की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXXIX के नियम 2क के तहत तत्काल आवेदन प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2/ आवेदकों की ओर से दाखिल किया गया है, जो निम्नलिखित राहत चाहते हैं:

> *"(क). वर्तमान वाद में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 को पारित आदेश की अवज्ञा पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम के नियम 2क के तहत संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करें।*
>
> *"(ख). वर्तमान वाद में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 को पारित आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मचारीगण को निर्देश देते हुए सिविल प्रक्रिया की धारा 151 के तहत आदेश पारित करें|*
>
> *(ग). श्री नरेश चोपड़ा को 22, राजपुर रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 पर स्थित संपत्ति खाली करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करें।*
>
> *(घ).श्री नरेश चोपड़ा को 22, राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली-110054 पर स्थित संपत्ति पर मुख्य द्वार से ताला और/या अन्य ताला(ओं) को हटाने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करें।*
>
> *(च). वर्तमान वाद में श्री नरेश चोपड़ा को कार्य करने/ चूक करने से जिसके परिणामस्वरूप इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 को पारित आदेश का उल्लंघन होता है से रोकने के लिए आदेश पारित करें |*

(छ). सुश्री संगीता कालेवर को 22, राजपुर रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 पर स्थित संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने से प्रतिबंधित करने वाला आदेश पारित करें |

(ज).श्री नरेश चोपड़ा और सुश्री संगीता कालेवर को 22, राजपुर रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 पर स्थित संपत्ति की चाबी(यों) को इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान वाद विचाराधीनता रहने तक जमा करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें।

(झ) इस माननीय न्यायालय के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य आदेश(शों) को पारित करें, जैसा कि यह माननीय न्यायालय ठीक और उचित समझे।"

2.आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शीर्षक वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी की ओर से दायर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ दिनांक 12 जनवरी, 2006 को पंजीकृत विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग की है उक्त वाद की कार्यवाहियों में, इस न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ ने 29 जनवरी 2007 के आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण को वाद संपत्ति को बेचने, भारित करने, अन्य संक्रांत करने और/या कब्जे से अलग होने से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की थी।

3. यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 2 अक्टूबर 2013 को वाद विचाराधीनता रहने और अंतरिम आदेश के संचालन के दौरान, प्रतिवादी सं. 2 ने वाद सम्पति का दौरा किया और उन्होंने वादी और उसके मुख्तारनामा धारक द्वारा लगाए

गए एक नोटिस बोर्ड को पाया, जिस पर उन्होंने लिखा था कि कथित वाद संपत्ति याची, सुश्री आशा गुप्ता (अब मृत) की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पत्र को आवेदकों के नुकसान के लिए वाद संपत्ति को बेचने, अन्यसंक्रांत करने के गलत इरादे से रखा गया था| इसलिए, सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX के नियम 2 के तहत अंतरिम आवेदन सं.16064/2013 वाला एक अंतरिम आवेदन को प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा की ओर से दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ वादी से पूर्वोक्त नोटिस बोर्ड को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी|

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 4 अक्टूबर 2013 को कार्यवाही के दौरान, वादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पूर्ववर्ती पीठ के समक्ष एक बयान दिया कि श्री नरेश चोपड़ा वादी स्वर्गीय सुश्री आशा गुप्ता की विधिवत गठित पावर ऑफ अटॉर्नी हैं। वादी के अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि वाद संपत्ति पर लगाए गए नोटिस बोर्ड को हटा दिया जाएगा| यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्तारनामा धारक ने न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन से बाध्य है और इसलिए, उसका पालन करने के लिए भी बाध्य है|

5. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक वादी के कथित अवमाननाकर्ता / मुख्तारनामा धारक ने इच्छा से, जानबूझकर, इरादे के, इस न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ द्वारा पारित 4 अक्टूबर 2013 के आदेश की अवज्ञा की थी| यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसने वादी के सुरक्षा गार्डों को संपत्ति के

मुख्य द्वार को बंद करने का निर्देश दिया है, वह हर दिन वाद संपत्ति का दौरा करता है और उस पर रहा करता है और इसके अलावा, उसने वाद संपत्ति में एक कमरे को एक संपत्ति व्यापारी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्यालय में बदल दिया है|

6. इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों को आशंका है कि मुख्तारनामा धारक आवेदकों को हानि पहुंचाने के लिए संभावित खरीदारों को ढूंढ रहा है और मृतक वादी की ओर से वादग्रस्त संपत्ति को बेचने के लिए लेन-देन में लिप्त है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय मृतक वादी के मुख्तारनामा धारक द्वारा 4 अक्टूबर, 2013, दिनांकित आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा का संज्ञान ले।

7. इसके विपरीत, वादी/गैर-आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन में किए गए तर्कों का, विशेष रूप से अनुच्छेद 5, 7 और 9 में किए गए प्रकथनों का जोरदार विरोध किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन के कथित अवमाननाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, अनुच्छेद 4 उप-अनुच्छेद (क) से (घ) में, कथित अवमाननाकर्ता ने किसी भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए वादग्रस्त संपत्ति का प्रयोग नहीं किया है और कथित संपत्ति के किसी भी कमरे को अपने व्यक्तिगत कार्यालय के रूप में परिवर्तित नहीं किया है, जैसा कि वर्तमान आवेदन में आरोप लगाया गया है।

8. गैर-आवेदक की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने भी स्थानीय आयुक्त की आख्या के अनुच्छेद 10 पर भरोसा किया है और उसे संदर्भित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 10 के अनुसार, स्थानीय आयुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी ने भी उक्त संपत्ति पर कब्जा नहीं किया है।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, कथित अवमाननाकर्ता ने इस न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ द्वारा पारित *यथास्थिति* के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और 4 अक्टूबर, 2013 के यथास्थिति आदेश, 17 फरवरी, 2022 की स्थानीय आयुक्त की आख्या, वादी/गैर-आवेदक द्वारा दाखिल कियी गया उत्तर और वर्तमान आवेदन में दी गई सामग्री का अध्ययन किया गया।

11. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कथित अवमाननाकर्ता, अर्थात् मुख्तारनामा धारक ने जानबूझकर इस न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ के आदेश की अवज्ञा की है। आवेदकों ने न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का आवाहन नहीं किया है और इसके बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत इस न्यायालय के समक्ष राहत की मांग की है। हालांकि अवमानना याचिका का अधिनिर्णयन करते हुए, न्यायलय अवमानना अधिनियम

के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार जानबूझकर अवज्ञा" शब्द का सन्दर्भ देना उचित है|

12. ***कपिलदेव प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य, (1999) 7 एस. सी. सी. 569*** *वाले* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस शब्द और इसके निहितार्थ के बारे में विस्तार से बताते हुए निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:-

> *"9. यह अभिनिर्धारित करने के लिए की प्रतिवादीगण ने अवमानना, उस पर भी सिविल अवमानना, की है यह दर्शाना होगा कि न्यायालय के फैसले या आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का अवलंब तब लिया जा सकता है जब न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो। चूंकि अवमानना के लिए अवमानना और सजा का नोटिस दूरगामी परिणाम वाला है, इसलिए इन शक्तियों का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का एक स्पष्ट मामला बनाया गया हो। किसी विशेष मामले में अवज्ञा जानबूझकर की गई है या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायिक आदेशों को उचित रूप से समझना और उनका पालन करना चाहिए। यहां तक कि उपेक्षा और लापरवाही भी अवज्ञा के बराबर हो सकती है, विशेष रूप से जब व्यक्ति का ध्यान न्यायालय के आदेशों और उसके निहितार्थों की ओर आकर्षित किया जाता है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना कानून के शासन की जड़ पर प्रहार करती है, जिस पर हमारी शासन प्रणाली आधारित है। प्रभावी कानून प्रणाली को बनाए रखने के लिए अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति आवश्यक है। इसका प्रयोग न्याय के मार्ग में विकृति को रोकने के लिए किया जाता है।*

11. कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। जानबूझकर करने में अनौपचारिक, दुर्घटनावश, सद्भावपूर्ण या अनजाने में किए गए कार्यों या आदेश की शर्तों का पालन करने में वास्तविक असमर्थता को शामिल नहीं किया जाएगा। एक याचिकाकर्ता जो न्यायालय के आदेश को भंग किए जाने की शिकायत करता है, उसे न्यायालय के आदेश की जानबूझकर या उद्दंड अवज्ञा करने का आरोप लगाना चाहिए।"

13. इसके अतिरिक्त, ***दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड भारत इंश्योरेंस कंपनी लि.*****, (2010) 12 एस.सी.सी. 770,** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :-

"17. यह अब हमें अगले सवाल और एक अधिक प्रासंगिक सवाल की ओर ले जाता है, कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को केवल अटकलों, अनुमान और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर टिकाऊ ठहराया जा सकता है। हमारी सुविचारित राय में, इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में परिलक्षित सुव्यवस्थित कानूनी स्थिति के मद्देनजर कि सिविल प्रकृति की अवमानना केवल तभी अभिनिर्धारित की जा सकती है जब आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई हो और भले ही अवज्ञा हो, फिर भी यदि यह नहीं दर्शाती है कि यह एक सचेत और जानबूझकर की गई अवज्ञा का मामला है, तो अवमानना का मामला नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में, यदि कोई आदेश विभिन्न प्रकार के परिणामों को जन्म देने के लिए एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम है, तो उसका अनुपालन न करने को आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करना नहीं माना जा सकता है ताकि दंड के अधिरोपण सहित गंभीर परिणाम के लिए अवमानना का मामला

बनाया जा सके। तथापि, जब न्यायालयों को इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि क्या दी गई स्थिति को जानबूझकर अवज्ञा का मामला माना जा सकता है, या एक कमजोर बहाना, ताकि इसके अनुपालन को नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे वह कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, स्पष्ट रूप से किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा; लेकिन ऐसा निर्णय करते समय, यह कानूनी रूप से सही नहीं होगा कि कल्पना के आधार पर बहुत अधिक अटकलबाजी की जाए क्योंकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 स्पष्ट रूप से प्रस्तावित करता है और इस बात पर जोर देता है कि किसी को भी सिविल प्रकृति की अवमानना के आरोप के लिए आरोपित किए जा सकने से पूर्व जानबूझकर अवज्ञा करने के घटक उपस्थित होने चाहिएं।"

"23. इसके अतिरिक्त, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) के तहत दी गई सिविल प्रकृति की अवमानना के एक महत्वपूर्ण वैधानिक घटक की अनदेखी या उपेक्षा करना भी सही नहीं होगा कि अवमानना का आरोप लगाने वाले आदेश की अवज्ञा को इस कसौटी को संतुष्ट करना होगा कि यह आदेश की जानबूझकर अवज्ञा है। इस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि सिविल अवमानना के लिए कोई कार्यवाही तब नहीं होगी जब कथित आदेश की अवज्ञा की गई हो, जो किसी आदेश या परिस्थिति की उचित या तर्कसंगत व्याख्या के लिए गुंजाइश प्रदान करता है जो तत्काल मामले में तथ्यात्मक स्थिति है। यह निष्कर्ष निकालना भी उतना ही सही नहीं होगा कि एक पक्ष सही कानूनी स्थिति की गलतफहमी के कारण और न्यायालय के आदेश को हराने या अवहेलना करने के किसी भी उद्देश्य के बिना सद्भावना से कार्य कर रहा है, इसे एक गंभीर आधार के रूप में

देखा जाना चाहिए ताकि अवमानना कार्यवाही को जन्म दिया जा सके।

"24. *उपर्युक्त क़ानूनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अहमद अली बनाम अधीक्षक, जिला कारागार [1987 सी.एल.जे. 1845 (गौ)] साथ ही बी.के. कर बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय [एआईआर 1961 एससी 1367: (1961) 2 सी.एल.जे. 438] में दिए गए निर्णय और आदेश में परिलक्षित स्थापित क़ानूनी स्थिति को ध्यान में रखना प्रासंगिक और उचित होगा कि केवल अनजाने में अवज्ञा करना किसी को भी अवमानना का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है और भले ही अवमानना साबित हो गई हो, अवमानना करने वाले की ओर से जानबूझकर अवज्ञा की अनुपस्थिति में, उसे तब तक दोषी नहीं ठहराएगा जब तक कि अवमानना में कुछ हद तक गलती या कदाचार शामिल नहीं होता है। अतः, किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराने के लिए आकस्मिक या अनजाने में अवज्ञा करना पर्याप्त नहीं है। अवमानना के कानून पर स्थापित कानून को ध्यान में रखना आगे प्रासंगिक है कि ऐसी परिस्थितियों में नैमित्तिक, आकस्मिक या अनजाने में अवज्ञा के कार्य, जो अवमानना के किसी भी सुझाव को नकारते हैं, केवल सिद्धांत रूप में अवमानना के बराबर माना जाएगा और अवमाननाकर्ता को सजा का भागी नहीं बनाता है| यह विचार बिहार राज्य बनाम रानी सोनाबती कुमारी (एआईआर 1954 पट 513) और एन. बक्शी बनाम ओ.के. घोष (एआईआर 1957 पट 528) में भी यही विचार व्यक्त किया गया था।"*

14. अतः यह स्पष्ट है कि केवल प्रकथन या सुस्पष्ट कथन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही आरंभ करने या कारण बताओ नोटिस जारी करने

के लिए पर्याप्त नहीं है। अवज्ञा जानबूझकर की जानी चाहिए और आदेश की शर्तों का पालन करने में नैमित्तिक या आकस्मिक/वास्तविक असमर्थता से परे होनी चाहिए। इसके अलावा, केवल अनजाने में अवज्ञा करना पर्याप्त नहीं है, अवमानना करने वाले की ओर से जानबूझकर अवज्ञा की अनुपस्थिति में, अवमाननाकर्ता को तब तक दोषी नहीं ठहराएगा जब तक कि अवमानना में कुछ हद तक गलती या कदाचार शामिल नहीं होता है।

15. इस मोड़ पर, गैर-आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के उत्तर का उल्लेख करना प्रासंगिक है जिसमें कथित अवमाननाकर्ता/गैर-आवेदक, मुख्तारनामा धारक ने आवेदकों द्वारा किए गए प्रकथनों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। गैर-आवेदक ने कहा कि उसने न तो मुकदमा संपत्ति पर कोई कार्यालय बनाया है और न ही उस पर या उसके किसी भाग पर कब्जा किया है|

16. कथित अवमाननाकर्ता/गैर-आवेदक का कथित बयान मामले को देखने के लिए नियुक्त स्थानीय आयुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> *"10. निरीक्षण करने पर, मुझे पता चला कि वहां गार्ड के अलावा रहने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि वे अपना खाना पकाते हैं, वहां रहते हैं और संपत्ति की देखभाल करते हैं।"*

17. उपर्युक्त के केवल पठन से पता चलता है कि स्थानीय आयुक्त ने मौके के निरीक्षण के बाद उपर्युक्त बयान दिया था। उन्होंने पाया कि गार्डों के अलावा उस

स्थान पर कोई भी रहने वाला व्यक्ति नहीं था। रिपोर्ट में ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जो बताता हो कि कथित अवमाननाकर्ता/गैर-आवेदक मुकदमा संपत्ति या उसके किसी भाग/हिस्से पर कब्जा कर रहा था| इसलिए, आवेदकों की ओर से लगाये गए आरोपों को खारिज किया जाता है|

18. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया है कि आवेदक यह दिखाने में विफल रहे हैं कि कथित अवमाननाकर्ता/गैर-आवेदक, मुख्तारनामा धारक ने 4 अक्टूबर 2013 को पारित इस न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है।

19. तथ्यों, परिस्थितियों, पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों, स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट की सामग्री, आवेदन में किए गए प्रकथनों और जवाब में तर्कों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी आदेश की "जानबूझकर अवज्ञा" का गठन करने वाले उदाहरणों के आलोक में, इस न्यायालय को तत्काल आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिला है क्योंकि आवेदक अपने कथन को साबित करने और स्थापित करने में विफल रहे हैं।

20. तदनुसार, तत्काल आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

21. इस आदेश को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

चंद्र धारी सिंह, न्या.

1 मई, 2023/जीएस/एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*